

2020
00187

Judl./Civi
Part 14


सरबरक

[कायदा 129]

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B', Form No. 8]

1. नाम अदालत..... S.O.O. जेडा 19/11/20
2. नियम मुकदमा..... 910 पत्र 111 सं 120 L.R. Act 11/21/21
3. उतवान मुकदमा..... शौकत खाँ v/s सरदार खाँ 15/4/21
4. नम्बर व सन् मुकदमा..... 142/2020 22/6/21
5. तारीख दावरा..... 27/8/20 26/8/21
6. तारीख फैसला..... फैसल 20-5-22 11/11/21
7. तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना..... 19/11/20 12/4/22
8. अपील या निगरानी की तारीख फैसला.....
9. किस्म मिसल या हिस्सा..... 910 पत्र 28/06/22
10. किस्म रेकॉर्ड..... गाम जेसकलार्क
11. (अ) तारीख जिस पर की हिस्सा 'डी' तलफ करना है.....
- (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया.....
12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है.....
- (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया.....
13. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है.....
- (ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया.....
14. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है.....



तारीख हुक्म 142 / 2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20 ⁰⁵ / ₂₂	<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट सरदारनगर पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बैसकलाई जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 142 /2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1-2 शौकत खां, असरू पिता भोले खां कायमखानी निवासी बेसकलाई
- 3- मरीयम बेवा भोले खां कायमखानी निवासी बेसकलाई 4- वजीर खां पिता छोटू खां कायमखानी निवासी बेसकलाई
- 5- हबीब खां पिता वजीर खां कायमखानी निवासी बेसकलाई 6- कंवर अली खां पिता उम्मेद खां कायमखानी निवासी बेसकलाई 7-9 रजिया, मेम, मुमताज पुत्री उम्मेद खां कायमखानी निवासी बेसकलाई 10- सुप्यार बेवा उम्मेद खां कायमखानी निवासी बेसकलाई

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- सरदार खां पुत्र केसर खां कायमखानी निवासी बेसकलाई
- 2- लाला पुत्र छीतर जाट निवासी बेसकलाई
- 3- नवाब खां पुत्र बहादुर खान कायमखानी निवासी बेसकलाई
- 4- सरदार अली पुत्र गुल अली खां कायमखानी निवासी बेसकलाई
- 5- मगना पुत्र भैरू तेली निवासी बेसकलाई 6- अमरा पुत्र भोमा चमार निवासी बेसकलाई
- 7- मगना पुत्र पोखर नायक निवासी बेसकलाई 8- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 शाखा रायला
- 9- तहसीलदार बनेड़ा 10- ग्राम सेवा सहाकारी समिति लि0 राक्षी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 20/05/2022

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बैसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 539, 549, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 1185, 1187, 1192, 1194, 1216, 1219, 1220, 1223, 1245, 1248, 1287, 1289, 1295, 1297, 1301, 1840 कुल कित्ता 24 रकबा 25-18 बीघा के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम बैसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 539, 549, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 1185, 1187, 1192, 1194, 1216, 1219, 1220, 1223, 1245, 1248, 1287, 1289, 1295, 1297, 1301, 1840 कुल कित्ता 24 रकबा 25-18 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातदारी खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये




जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।
अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

// आदेश //


प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बैसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 539, 549, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 1185, 1187, 1192, 1194, 1216, 1219, 1220, 1223, 1245, 1248, 1287, 1289, 1295, 1297, 1301, 1840 कुल किता 24 रकबा 25-18 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर को 2500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय सरदारनगर पर सुनाया गया।


(अशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा